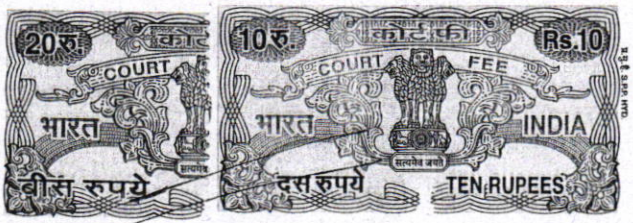

120

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर म0प्र0

नि0 3481-I-16

लालू तनय श्री देवी कोरी
निवासी ग्राम पलौठा तहसील व
जिला छतरपुर

.................निगरानीकर्ता / आवेदक

विरूद्व

म.प्र.शासन

.........अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 सहपठित धारा 32 एंव धारा 165 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा प्रकरण क्र 36/अ–21/15–16 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा पलौठा स्थित भूमि खसरा क्र 254/3 रकवा [redacted] 1.942 हे. मे से 1/2 अर्थात् 0.971 हे भूमि आवेदक को संयुक्त पट्टा पर प्राप्त भूमि है जिसको विक्रय किए जाने की अनुमति प्राप्त हेतु आवेदक द्वारा एक आवेदन पत्र अपर कलेक्टर छतरपुर के समक्ष मुख्यतः इस आधार पर प्रस्तुत किया गया कि वादग्रस्त भूमि उपजाउ ना होने से वह अपना व अपने परिवार का भरण पोषण सही तरीके से नहीं कर पा रहा है साथ ही उसे अपने बच्चों का विवाह व व्यवसाय स्थापित करना है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विपरीत कार्यवाही कर आदेश पारित किया गया है जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्ता की निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

2. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों व प्रकरण में निहित परिस्थितियों का विपरीत तरीके से उपयोग करते हुए विधि विपरीत आदेश पारित किया है जो कि कानूनन स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

3. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय को इस बात को मानना चाहिए था कि निगरानीकर्ता जिस भूमि को विक्रय करना चाहता है वह भूमि पूर्णतः कृषि भूमि नहीं है तथा

XIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश –ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 3481/I/16 जिला .....छतरपुर.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-10-2016	1– आवेदक के अधिवक्ता श्री नितेन्द्र सिंधई उपस्थित अनावेदक शासन पक्ष की ओर से पैनल अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्तागणों के तर्क सुने। मैने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी प्र.क्र.अपर कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 36/अ–21/वर्ष 15–16 में के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। 2– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि आवेदक की 1/2 हक व हिस्से की भूमि ग्राम मौजा पलौठा स्थित खसरा क्र 254/3 में स्थित है तथा आवेदक अपने रकवा 0.971 हे जो कि उसको संयुक्त पटटे पर प्राप्त भूमि है तथा वर्तमान में आवेदक के नाम पर दर्ज भूमि है को विक्रय किए जाने की अनुमति प्राप्त किए जाने हेतु आवेदक द्वारा एक आवेदन पत्र मय शपथपत्र व दस्तावेजों सहित अपर कलेक्टर छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक द्वारा जो भूमि विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया गया था वह इस आधार पर दिया गया था कि आवेदक बीमार चल रहा है जिस कारण उसको अपने इलाज हेतु पैसों की अवश्यकता है साथ ही भूमि कृषि कार्य हेतु उपयुक्त नहीं है, इस कारण से वह इस भूमि को विक्रय कर अन्य स्थान पर कृषि योग्य भूमि क्रय करना चाहते हैं जिससे वह अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर सके। आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत किया कि वर्तमान में उसका स्वास्थ अत्यन्त खराब हो गया है जिस कारण से इलाज हेतु उसे पैसों की अत्यन्त आवश्यकता है। चूंकि वह भूमि विक्रय करने के उपरान्त उतनी ही अधिक उससे ज्यादा भूमि क्रय करेगा इस प्रकार उसके पास वर्तमान में जितनी	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
	भूमि है उसमें कमी नहीं होगी बल्कि उनके पास ज्यादा भूमि हो जायेगी। उनके द्वारा तर्क में यह भी बताया गया आवेदक का भूमि विक्रय की अनुमति प्रदाय किए जाने का आवेदन पत्र लंबित होने से वह अपना सही तरीके से पैसों के आभाव में इलाज नहीं कर पा रही है इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण को लंबित रखना चाहते है। उक्त आधार पर उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है । 3— उभयपक्ष अधिवक्तागणों के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। इस प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि आवेदक द्वारा विक्रय की जा रही भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि है वह उसकी स्वअर्जित भूमि नहीं है। आवेदक द्वारा अपनी अस्वाथता के संबंध में शपथपत्र भी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत पटटे एंव भू अधिकार पुस्तिका की प्रतियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक की संयुक्त खाते की भूमि है एंव वह अपने हिस्से की भूमि को विक्रय करना चाहता है। तथा आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह अनुरोध किया है कि आवेदक प्रश्नाधीन भूमि को विक्रय कर उसके स्थान पर विक्रय की जा रही भूमि के बराबर अथवा उससे अधिक अन्य भूमि अपने अपने निवास स्थान के समीप क्रय करेगा इस प्रकार उनके पास वर्तमान में जितनी भूमि है उसमें कमी नहीं होगी। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के उपरान्त प्रकरण की अद्यतन स्थिति के परिप्रेक्ष्य में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है । 4— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी इसी स्तर पर स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रचलित कार्यवाही समाप्त करते हुए आवेदक को भूमि खसरा क्र 254/3 रकवा 1.942 हे में से 0.971 हे को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उप पंजीयक विकय पत्र संपादित होने के दिनांक को प्रचलित शासन की गाईडलाईन के	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	मान से विक्रयधन विक्रेता को अदा होने की संतुष्टि कर विक्रय पत्र संपादित करें । सदस्य	